फर्द अहकाम
(नियम–26)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

राकेश कुमार परमार निवासी अतरसुमा, तहसील बसेडी, जिला धोलपुर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस ऐजेन्सी, जयपुर

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 116/2025 (RTI)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.25	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट श्री राकेश कुमार परमार निवासी अतरसुमा, तहसील बसेडी, जिला धोलपुर ने सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 18.08.2025 को लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ ऐश्योरेंस ऐजेन्सी, जयपुर के यहां प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ ऐश्योरेंस ऐजेन्सी, जयपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ ऐश्योरेंस ऐजेन्सी, जयपुर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	.....लगातार

	चूंकि लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ ऐश्योरेंस ऐजेन्सी, जयपुर, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नही आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता इस कार्यालय को प्रदत्त नहीं है जिससे हस्तगत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नही की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को निः शुल्क प्रेषित की जावे।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official